

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

--:: आदेश ::--

संख्या-17/स्था0-03-19/2024, 5212/ सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 18/03/2026

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक-1321 दिनांक-13.03.2026 द्वारा विज्ञापन सं0-02/25, पद-कल्याण व्यवस्थापक/निम्नवर्गीय लिपिक से संबंधित प्रमाण पत्रों की संवीक्षा कार्य हेतु दिनांक-23.03.2026 (सोमवार) को बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित 02 (दो) प्रशाखा पदाधिकारी एवं 02 (दो) सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में की जाती है:-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक/पदनाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री राकेश कुमार, को0क्र0-1005/24 प्रशाखा पदाधिकारी	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।	8544010133
2	श्री नवनीत कुमार वर्मा, को0क्र0-1131/24 प्रशाखा पदाधिकारी	गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना।	7739717985
3	श्री आदित्य कुमार, को0क्र0-1944/24 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना।	8434005406
4	श्री चंदन कुमार राय, को0क्र0-2154/24 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।	7250204918

18.03.26  
(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक:-17/स्था0-03-19/2024, 5212/ सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 18/03/2026

**प्रतिलिपि:**-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित विभाग से यह भी अनुरोध है कि प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को दिनांक-22.03.2026 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में योगदान करने हेतु विरमित करने की कृपा की जाय। यदि प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अवकाश/प्रशिक्षण/पटना से बाहर पदस्थापित हो अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्य का निष्पादन कर रहे हो तो विभाग यदि चाहे तो उनके स्थान पर


किसी अन्य प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से आयोग कार्यालय में करते हुए इस विभाग को सूचित करेंगे।

साथ ही प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा यदि उनके स्थान पर किसी अन्य प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को आयोग कार्यालय में दिनांक-22.03.2026 अपराह्न तक विरमित नहीं किया जाता हो तो उक्त स्थिति में वे स्वतः विरमित होकर दिनांक-23.03.2026 को 9:30 बजे पूर्वाह्न में आयोग कार्यालय में योगदान करेंगे तथा कार्य की समाप्ति के उपरांत अपने विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापंक:-17/स्था0-03-19/2024, / सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- /03/2026

**प्रतिलिपि:-** सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्रांक-1321 दिनांक-13.03.2026 के प्रसंग में/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।